राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 8580/2022

रिम्शा खान पुत्री साजिद खान पठान, उम्र लगभग 15 वर्ष, अपनी प्राकृतिक संरक्षक मां शानेन खान पत्नी साजिद खान पठान निवासी राता खेत गवारी चोक मल्लातलाई उदयपुर जिला के माध्यम से। उदयपुर राज.

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. वेष्णवी तेली पुत्री विक्रम तेली, निवासी अंबामाता जिला। उदयपुर राज.

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री गोपाल सिंह भाटी

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पी.पी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>30/08/2024</u>

1. इस मामले के तथ्य बहुत ही विचित्र हैं। 15 साल की एक नाबालिग लड़की एफआईआर में आरोपी है, इसलिए शिकायतकर्ता के कहने पर राज्य द्वारा उस

पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जो खुद भी 17 साल की नाबालिग लड़की है। इस बारे में बाद में और जानकारी दी जाएगी। पुलिस स्टेशन अंबामाता, जिला उदयपुर में आईपीसी की धारा 34 और 386 (अधिकतम 10 साल तक की सजा) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 722/2022 दिनांक 28.11.2022 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. वेष्णवी/प्रतिवादी नंबर 2 ने रिमशा पठान (याचिकाकर्ता) और अरबाज सिलावट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वह इंस्टाग्राम के जरिए रिमशा से मिली थी, जिसने बाद में उसे कॉस्मेटिक क्रीम दिखाने और बेचने के बहाने अपने घर बुलाया। क्रीम देने के बजाय रिमशा उसे एक कैफे में ले गई, जहां अरबाज भी उनके साथ शामिल हो गया। कथित तौर पर दोनों ने शिकायतकर्ता को सिगरेट लेने के लिए मजबूर किया और फिर सिगरेट पकड़े हुए उसकी तस्वीर खींची। फिर उन्होंने उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल किया, जो उसने शुरू में दिए थे। जब उसने आगे की मांगों से इनकार कर दिया, तो 27 नवंबर, 2022 को अरबाज और रिमशा ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, उसे और उसके पिता को धमकाया। इस प्रकार वैष्णवी ने अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके कारण रिमशा के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित आरोपों के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत बयानों पर आधारित है। भले ही आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन वे आपराधिक अपराध नहीं बनते। उन्होंने दावा किया कि वास्तव में पुलिस शिकायत एक कॉस्मेटिक क्रीम के भुगतान पर विवाद के इर्द-गिर्द

घूमती है, जिसे याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता को बेचा था। शिकायतकर्ता, जिसने 3000/- रुपये की क्रीम का ऑर्डर दिया था, ने बिना भुगतान किए ही उसे ले लिया और आज तक उसके द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक 15 वर्षीय छात्रा है, जिसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से गलत तरीके से फंसाया गया है।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून अपना काम करेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया पाया जाता है, तो उसके पक्ष में एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की जाएगी और इस प्रकार, याचिका को खारिज करने की मांग की जाएगी।

6. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर दर्ज करते समय आईपीसी की धारा 386 का पूरी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। त्वरित संदर्भ के लिए धारा 386 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "386. किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालकर जबरन वसूली करना। - जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी अन्य को गंभीर चोट के भय में डालकर जबरन वसूली करता है, उसे दस साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।"

उपरोक्त का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाते समय

शिकायतकर्ता ने एक शब्द भी नहीं कहा कि शिकायतकर्ता को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डाला गया था। इसलिए, स्पष्ट रूप से, आवश्यक तत्वों की कमी है और एफआईआर में याचिकाकर्ता द्वारा धारा 386 के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। सबसे अच्छा, यदि ऐसा है, तो कथित अपराध, हालांकि, निश्चित रूप से, झूठे आरोपों के आधार पर, जैसा कि प्रतीत होता है, आईपीसी की धारा 385 के तहत आएगा। उक्त धारा 385 में यह परिकल्पना की गई है कि, जो कोई भी जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट के डर में डालता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

7. आईपीसी की धारा 385 के संदर्भ में, तथ्यात्मक स्थिति यह है कि न केवल शिकायतकर्ता 17 वर्ष की नाबालिग लड़की है, बल्कि आरोपी यानी याचिकाकर्ता की उम्र भी केवल 15 वर्ष बताई गई है। यह समझ से परे है कि कैसे पहली बार में, प्रारंभिक बुनियादी तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता दोनों ही आरोपी किशोर हैं, इसलिए विचाराधीन एफआईआर पुलिस शक्तियों का पूर्ण दुरुपयोग है और इसलिए टिकने योग्य नहीं है।

8. इस संदर्भ में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बनाए गए किशोर (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 8 (1) का संदर्भ लिया जा सकता है। यह प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में प्रक्रिया
>
> 8. पुलिस और अन्य एजेंसियों की पेशी-पूर्व कार्रवाई।
>
> (1) कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट तब तक दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक कि बच्चे द्वारा कोई जघन्य अपराध किए जाने का

> आरोप न लगाया गया हो, या जब ऐसा अपराध वयस्कों के साथ मिलकर किए जाने का आरोप न लगाया गया हो। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चे द्वारा किए गए कथित अपराध के बारे में जानकारी सामान्य दैनिक डायरी में दर्ज करेगा, उसके बाद फॉर्म 1 में बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और जिन परिस्थितियों में बच्चे को पकड़ा गया था, जहां भी लागू हो, और उसे पहली सुनवाई से पहले बोर्ड को भेजेगा: बशर्ते कि पकड़ने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के संबंध में किया जाएगा, जब तक कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में न हो। छोटे और गंभीर अपराधों से जुड़े अन्य सभी मामलों और ऐसे मामलों के लिए जहां बच्चे को पकड़ना बच्चे के हित में आवश्यक नहीं है, पुलिस या विशेष किशोर ... पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चे द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति के बारे में सूचना तथा उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट फॉर्म 1 में बोर्ड को भेजेगा तथा बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को सूचित करेगा कि बच्चे को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब पेश किया जाना है। (जोर दिया गया)।

उपरोक्त बातों को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि बच्चों से जुड़े मामलों में, केवल तभी एफआईआर दर्ज की जा सकती है जब बच्चे द्वारा किया गया कथित अपराध जघन्य श्रेणी का हो और उसके लिए सात साल या उससे अधिक की सजा हो। छोटे या गंभीर अपराधों के लिए, तब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि अपराध वयस्कों के साथ मिलकर किए जाने का आरोप न लगाया गया हो।

9. इसके अलावा, ऐसे मामलों में भी, जब कोई बच्चा सात साल से कम की सजा वाले अपराध के लिए पकड़ा जाता है, ऐसे मामलों में भी, केवल दैनिक डायरी (डीडी) प्रविष्टि की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट, कथित अपराध की परिस्थितियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट, किसी भी चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी की जानकारी और बच्चे की उम्र का प्रमाण, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तैयार करके प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। पुलिस स्टेशन अंबामाता, जिला उदयपुर में आईपीसी की धारा 34 और 386 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 722/2022 दिनांक 28.11.2022 और याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी परिणामी कार्यवाही को खारिज किया जाता है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।